संख्या–1404 / 79–6–2016–765 / 2010

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद में सूखाग्रस्त जनपदों हेतु तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0 / 1789 / 2016–17 दिनांक 16.09.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों ग्रीमावकाश कार्यरत 146011 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्दांश के रूप धनराशि रू0–204.46 लाख (रू0 दो करोड़ चार लाख छियासी हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–136. 30 लाख (रू0 एक करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–340.76 लाख (रूपया तीन करोड चालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की तृतीय किस्त के रूप में सूखाग्रस्त जनपदों हेतु संलग्नक जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय / उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय / उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

—2 /

budget. RP 2016

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टीम भेजकर सूची में दिये गये क्षेत्रों का सत्यापन करायेंगे।

3– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं– 0103–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम– कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40–के.+रा.)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी0–1–746–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर–2 (21) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या–1404(1)/79–6–2016–765/2010 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

budget. RP 2016

Enclosure of G O No.

[Mid Day Meal Scheme]

Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers
FY 2016-17: Grant -83 (SCSP) PLAN
3rd Installment For Drought Affected Districts (in Rs. Lac)

(in Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers expected to be working in Summer Vacation information given by Districts	Central Share Funds (@ Rs 600/cook/ month) being released as 3rd Installment	State Share Funds (@ Rs 400/cook/ month) being released as 3rd Installment	Total Funds being released as 3rd Installment
1	2	3	5	6	7=5+6
1	01-Agra	38	0.00	0.00	0.00
2	02-Aligarh		0.00	0.00	0.00
3	03-Allahabad	311	0.55	0.36	0.91
4	04-Ambedkar nagar	5035	0.00	0.00	0.00
5	05-Auraiya	750	0.31	0.20	0.51
6	06-Azamgarh		0.00	0.00	0.00
7	07-Badaun		0.00	0.00	0.00
8	08-Baghpat	1685	0.00	0.00	0.00
9	09-Bahraich		0.00	0.00	0.00
10	10-Ballia	1413	0.00	0.00	0.00
11	11-Balrampur	4871	0.00	0.00	0.00
12	12-Banda	5470	19.15	12.76	31.91
13	13-Barabanki	6890	0.00	0.00	0.00
14	14-Bareily		0.00	0.00	0.00
15	15-Basti	6773	11.86	7.90	19.76
16	16-Bhadohi	3129	5.48	3.65	9.13
17	17-Bijnour		0.00	0.00	0.00
18	18-Bulandshahar		0.00	0.00	0.00
19	19-Chandauli	4585	0.00	0.00	0.00
20	20-Chitrakoot	3653	6.40	4.26	10.66
21	21-Amethi	4566	15.98	10.66	26.64
22	22-Deoria	0	0.00	0.00	0.00
23	23-Etah	4414	15.45	10.30	25.75
24	24-Faizabad	462	0.81	0.54	1.35
25	25-Farrukhabad	4661	9.25	6.17	15.42
26	26-Fatehpur	6614	0.00	0.00	0.00
27	27-Firozabad		0.00	0.00	0.00
28	28-G.B. Nagar		0.00	0.00	0.00
29	29-Ghazipur		0.00	0.00	0.00
30	30-Ghaziyabad	0	0.00	0.00	0.00
31	31-Gonda	23	0.11	0.07	0.18
32	32-Gorakhpur	0	0.00	0.00	0.00
33	33-Hameerpur	2870	4.18	2.79	6.97
34	34-Hardoi		0.00	0.00	0.00
35	35-Hathras	2493	4.71	3.14	7.85
36	36-Itawah	3820	0.00	0.00	0.00
37	37-J.P. Nagar		0.00	0.00	0.00
38	38-Jalaun	3863	13.52	9.02	22.54
39	39-Jaunpur	9504	0.00	0.00	0.00
40	40-Jhansi	4273	14.96	9.97	24.93
41	41-Kannauj	4033	7.06	4.70	11.76
42	42-Kanpur Dehat	4746	4.15	2.77	6.92
43	43-Kanpur Nagar	153	0.27	0.18	0.45
44	44-Kaas Ganj		0.00	0.00	0.00
45	45-Kaushambi	115	0.00	0.00	0.00

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers expected to be working in Summer Vacation information given by Districts	Central Share Funds (@ Rs 600/cook/month) being released as 3rd Installment	State Share Funds (@ Rs 400/cook/month) being released as 3rd Installment	Total Funds being released as 3rd Installment
1	2	3	5	6	7=5+6
46	46-Kushinagar	0	0.00	0.00	0.00
47	47-Lakhimpur Kheri		0.00	0.00	0.00
48	48-Lalitpur	4197	14.69	9.80	24.49
49	49-Lucknow	75	0.13	0.09	0.22
50	50-Mahoba	2614	9.15	6.10	15.25
51	51-Mahrajganj	0	0.00	0.00	0.00
52	52-Mainpuri	35	0.00	0.00	0.00
53	53-Mathura		0.00	0.00	0.00
54	54-Mau	1038	0.00	0.00	0.00
55	55-Meerut		0.00	0.00	0.00
56	56-Mirzapur	6530	11.43	7.62	19.05
57	57-Moradabad		0.00	0.00	0.00
58	58-Muzaffarnagar		0.00	0.00	0.00
59	59-Pilibhit	297	0.14	0.10	0.24
60	60-Pratapgarh	7412	0.00	0.00	0.00
61	61-Rai Bareily	75	0.13	0.09	0.22
62	62-Rampur	0	0.00	0.00	0.00
63	63-Saharanpur		0.00	0.00	0.00
64	64-Santkabir Nagar	304	1.06	0.71	1.77
65	65-Shahjahanpur	8311	0.00	0.00	0.00
66	66-Shrawasti		0.00	0.00	0.00
67	67-Siddharthnagar	675	1.18	0.79	1.97
68	68-Sitapur		0.00	0.00	0.00
69	69-Sonbhadra	6017	21.06	14.04	35.10
70	70-Sultanpur	768	0.00	0.00	0.00
71	71-Unnao	6450	11.29	7.52	18.81
72	72-Varanasi		0.00	0.00	0.00
73	73-Sambhal		0.00	0.00	0.00
74	74-Hapur		0.00	0.00	0.00
75	75-Shamli		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**146011**	**204.46**	**136.30**	**340.76**

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

70

संख्या–1404/79–6–2016–765/2010

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद में सूखाग्रस्त जनपदों हेतु तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/1789/2016–17 दिनांक 16.09.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों ग्रीमावकाश कार्यरत 146011 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्दांश के रूप धनराशि रू0–204.46 लाख (रू0 दो करोड़ चार लाख छियासी हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–136.30 लाख (रू0 एक करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–340.76 लाख (रूपया तीन करोड चालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की तृतीय किस्त के रूप में सूखाग्रस्त जनपदों हेतु संलग्नक जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों /प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

—2/.

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टीम भेजकर सूची में दिये गये क्षेत्रों का सत्यापन करायेंगे।

3– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षं '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं– 0103–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम– कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40–के.+रा.)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी0–1–746–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर–2 (21) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1404(1)/79–6–2016–765/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

budget. RP 2016